

डिक्री मुकदमा इब्दाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूं, जिला-जयपुर

पीठारसीन अधिकारी :-श्रीमती कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा नं0:-58/2021

उनवान

शीताराम पुत्र भौरीलाल, जाति घोबी, निवासी ग्राम खिरनी जिला सवाईमाधोपुर।

-वादी-

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र मुरली,
2. मुकितलाल पुत्र मुरली
समस्त जाति नायक, निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर
3. मोहिनी देवी पत्नी स्व0 शीतल प्रसाद पुत्र मुरली,
4. कमल पुत्र स्व0 शीतल प्रसाद
5. धीरेन्द्र पुत्र स्व0 शीतल प्रसाद
6. टींकू पुत्र स्व0 शीतल प्रसाद
7. कमला पुत्री स्व0 शीतल प्रसाद
8. सीमा पुत्री स्व0 शीतल प्रसाद
समस्त जाति नायक, निवासी ब्लॉक आई, 1379-80, जहांगीरपुरी, नई दिल्ली।
9. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर उपतहसीलदार, उपतहसील खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
10. उपपंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

-प्रतिवादीगण-

वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
(अन्तर्गत धारा 53 व 188 आ0टी0एक्ट0)

मुकदमा नम्बर :-58/2021

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रुबरु हाजरी वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुददई रुबरु श्रीमती कनक जैन आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:-

1. कन्हैयालाल पुत्र मुरली हिस्सा 1/3 जाति नायक, मुकितलाल पुत्र मुरली हिस्सा 1/3 जाति नायक, सा0 दहे खातेदार, मोहिनी देवी पत्नि शीतलप्रसाद हिस्सा 1/18, धीरेन्द्र पुत्र शीतलप्रसाद हिस्सा 1/18, टींकू पुत्र शीतलप्रसाद हिस्सा 1/18, कमला पुत्री शीतलप्रसाद हिस्सा 1/18, सीमा पुत्री शीतलप्रसाद हिस्सा 1/18, कमल पुत्र शीतलप्रसाद समस्त जाति नायक सा0 ब्लॉक आई, 1379-80, जहांगीरपुरी, नई दिल्ली को आराजी खसरा नम्बर 2686 रकबा 0.55 है0, खसरा नम्बर 2687/1 रकबा 0.27 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 0.82 है0 भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूं (जयपुर)

2. सीताराम पुत्र भौरीलाल हिस्सा सम्पूर्ण जाति घोबी सा0 खिरनी जिला सवाईमाधोपुर
खातेदार को आराजी खसरा नम्बर 2687/2 रकबा 0.22 है0 कुल किता 1 का कुल
रकबा 0.22 है0 भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

निजी _____ मबलिक _____ बाबत _____ खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह _____
_____ फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक _____ को अदा
करें।

बसत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 10.01.2025 को जारी किया गया ।

मोहर

दस्तखत
ओहदा
(फास्ट ट्रेक)
बौरी (जयपुर)

बाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा	2	1. स्टाम्प अर्जी दावा	
2. स्टाम्प बकालतनामा	1	2. स्टाम्प बकालतनामा	0
3. स्टाम्प बजह सबूत		3. महन्ताना वकील	
4. महन्ताना वकील		4. खर्चा गवाहन	
5. खर्चा गवाहन		5. फीस कमिश्नर	
6. फीस कमिश्नर		6. बाबत इजराय	
7. बाबत इजराय		हुक्मनामा	
हुक्मनामा		7. मुतफरिक	
8. मुतफरिक			
जोड	3	जोड	0

सहायक
(फास्ट ट्रेक)
बौरी (जयपुर)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0/मुख्यालय), चौमूं, जिला जयपुर
पीठासीन अधिकारी :-श्रीमती कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा नं0 :-58/2021

उनवान

सीताराम पुत्र भौरीलाल, जाति धोबी, निवासी ग्राम खिरनी जिला सवाईमाधोपुर।

-वादी-

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र मुरली,
2. मुकितलाल पुत्र मुरली
समस्त जाति नायक, निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर
3. मोहिनी देवी पत्नी स्व0 शीतल प्रसाद पुत्र मुरली,
4. कमल पुत्र स्व0 शीतल प्रसाद
5. धीरेन्द्र पुत्र स्व0 शीतल प्रसाद
6. टींकू पुत्र स्व0 शीतल प्रसाद
7. कमला पुत्री स्व0 शीतल प्रसाद
8. सीमा पुत्री स्व0 शीतल प्रसाद
समस्त जाति नायक, निवासी ब्लॉक आई, 1379-80, जहांगीरपुरी, नई दिल्ली।
9. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर उपतहसीलदार, उपतहसील खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
10. उपपंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।


-प्रतिवादीगण-

दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अ0 धारा 53 व 188 रा0का0 अधिनियम 1955

निर्णय


दिनांक:-10.01.2025

पत्रावली पेश हुई, वकील वादी एवं प्रतिवादी उपस्थित। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 25.11.2024 को उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री कि जाकर तहसीलदार चौमूं को वाद में विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार चौमूं से कुर्रेजात प्रस्ताव प्राप्त हो चुके है जिस पर बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया गया। वाद पत्र तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का है व अवलोकन से स्पष्ट है कि कुर्रेजात प्रस्ताव सभी काश्तकारों के रिकॉर्ड व मौके के अनुसार व रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। जो न्यायालय के आदेशानुसार बनाई गई है। जिसमें कोई त्रुटि नहीं पाई गई है। अतः मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 09.01.2025 वाद को अन्तिम डिक्री किया जाता है एवं विवादित भूमि हाल खाता संख्या 673, गत खाता संख्या 631 में वर्णित खसरा नम्बर 2686 रकबा 0.55 है0, खसरा नम्बर 2687 रकबा 0.49 है0, कुल किता 2 का कुल रकबा 1.04 है0 वाके ग्राम खेजरोली बी तहसील चौमूं, जिला जयपुर का बंटवारा निम्नानुसार किया जाता है।


सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेडिंग)
चौमूं, जयपुर

1. कन्हैयालाल पुत्र मुरली हिस्सा 1/3 जाति नायक, मुक्तिलाल पुत्र मुरली हिस्सा 1/3 जाति नायक, सा0 दहे खातेदार, मोहिनी देवी पत्नि शीतलप्रसाद हिस्सा 1/18, धीरेन्द्र पुत्र शीतलप्रसाद हिस्सा 1/18, टीकू पुत्र शीतलप्रसाद हिस्सा 1/18, कमला पुत्री शीतलप्रसाद हिस्सा 1/18, सीमा पुत्री शीतलप्रसाद हिस्सा 1/18, कमल पुत्र शीतलप्रसाद समस्त जाति नायक सा0 ब्लॉक आई, 1379-80, जहांगीरपुरी, नई दिल्ली को आराजी खसरा नम्बर 2686 रकबा 0.55 है0, खसरा नम्बर 2687/1 रकबा 0.27 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 0.82 है0 भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
2. सीताराम पुत्र भौरीलाल हिस्सा सम्पूर्ण जाति घोबी सा0 खिरनी जिला सवाईमाधोपुर खातेदार को आराजी खसरा नम्बर 2687/2 रकबा 0.22 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.22 है0 भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

उक्तानुसार पर्चा लगान अलग अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 10.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


सहायक क्लर्क
(फा0 ट्रे0/मुख्यालय)चौमू
चौमू (जयपुर)